दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
5/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रार्थनापत्र 151 CPC प्रस्तुतकर्त्ता के अधिवक्ता उप०। प्रार्थनापत्र 151 CPC पर आदेश हेतु पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्त्ता द्वारा पूर्व मे पेश प्रा०पत्र 01 R10 CPC का दिनांक 18/10/23 को खारिज हो चुका है जिस पर पुन: सुनवाई किये जाने के लिए प्रार्थनापत्र 151 CPC का पेश किया गया। प्रा०पत्र 151 CPC पर उभयपक्षो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रा०पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रा०पत्र 01 R10 CPC दि० 18/10/23 को पुन: विचार कर निर्णय किया जावे। वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस मे कहा कि एक बार आदेश पारित होने पर उसे धारा 151 CPC के माध्यम से रिव्यू नही किया जा सकता है। पत्रावली का, प्रा०पत्र 01 R10 CPC निर्णय दि० 18/10/23 व प्रार्थी का प्रा०पत्र 151 CPC को अवलोकन करते व वकील उभय पक्षो की बहस का सगौर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रार्थी प्रा०पत्र 151 CPC प्रस्तुतकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 CPC मे किये गये कथनो को बल मिलता हो, एक बार निर्णित किये गये प्रार्थनापत्र को धारा 151 CPC के माध्यम से रिव्यू नही किया जा सकता है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 01 R10 CPC की प्रस्तुति के समय पर ही सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नही करने का कोई उचित कारण दर्शित नही किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 151 CPC चलने योग्य नही होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। फाइल मे इकबालदावा पेश पर तनकी की आवश्यक नही। वकील वादी ने प्रा०पत्र 07 R14 CPC पेश किया प्रा०पत्र पर वकील वादी को सुना गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र 07 R14 CPC स्वीकार किया गया। वकील वादी ने साक्ष्य मे अजयकुमार के शपथ पत्र व दस्तावेज पेश किये। दस्तावेजात का सत्यापन कराये जाकर प्रदर्श दर्ज किये गये। वकील वादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहते हैं बहस अन्तिम हेतु निवेदन किया। वकील वादी की अंतिम बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 10/1/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not

Digitally signed by
Date: 2024.02.07
Reason: SelfAttes

फर्द अहकाम

यालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

अजय कुमार **बनाम** सरकार जरिये तहसीलदार

मा संख्या /वर्ष : 250/2020 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या-1 तहसीलदार सांगानेर अनुपस्थित। वादी का वाद डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय आ० मि० किया गया। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:12 IST
Reason: SelfAttested